न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—60 / 2024

प्रार्थीगणः—

1. अशोक सिंह पुत्र गेबसिंह
2. गोविन्दसिंह पुत्र गेबसिंह
3. जबरसिंह पुत्र गेबसिंह
4. प्यारी पत्नी गेबसिंह
5. पारससिंह पुत्र गेबसिंह
6. सुजानसिंह पुत्र गेबसिंह

समस्त जातियान राजपुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा, सिवाना

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.11.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 11,12,191, 390 ,391,392, 533 व 600 रकबा क्रमशः 1.5702, 2.9057, 2.7033, 0.6961, 0.6232, 0.5827, 2.4281 व 0.9874 हैक्टेयर ग्राम मूठली तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता/पति के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम ''गेबसिंह'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम ''गेनसिंह'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीगण के पिता/पति का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1056 दिनांक 23.07.2024 द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति के वास्तविक नाम की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, ... डायरी ,परिवार राशनकार्ड की छाया प्रति आदि प्रस्तुत किये है।

विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा ... प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को रहन रख कर ऋण प्राप्त कर रखा है प्रार्थीगण द्वारा ऋण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम गेनसिंह दर्ज है। यदि प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम संशोधित किया जाता है तो बैंक द्वारा बकाया ऋण

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:40 IST
Reason: SelfAttested

की राशि मय ब्याज वसूली करने में परेशानी होगी तथा अन्य विधिक समस्याओं का सामना करना पडेगा। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम ''गेबसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम मूठली के खसरा संख्या 11,12,191, 390 ,391,392, 533 व 600 रकबा क्रमशः 1.5702, 2.9057, 2.7033, 0.6961, 0.6232, 0.5827, 2.4281 व 0.9874 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम ''गेनसिंह लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर ऋण प्राप्त कर रखा है यदि प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम संशोधित किया जाता है तो बैंक को प्रार्थीगण से ऋण वसूली में विविध प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड सकता है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम ''गेबसिंह दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम ''गेनसिंह'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम ''गेबसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मूठली के खसरा संख्या 11,12,191, 390 ,391,392, 533 व 600 रकबा क्रमशः 1.5702, 2.9057, 2.7033, 0.6961, 0.6232, 0.5827, 2.4281 व 0.9874 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम ''गेनसिंह'' '' के स्थान पर ''गेबसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **तहसीलदार सिवाना को प्रार्थीगण द्वारा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र/रहन मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।**

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:49 IST
Reason: SelfAttested